राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

55वीं बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2015 से संबंधित कार्य बिन्दु

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>कार्य बिन्दु</th><th>कृत कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ii) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु संबंधित बैंक सूक्ष्म उद्यमियों एवं एवं छोटे व्यपारियों और विशेष रुप से महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

ii) “स्टार्ट-अप इण्डिया योजना” के तहत जनजाति, दलित एवं महिला वर्ग में उद्यमिता विकसित करने हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाए।

(कार्रवाई - समस्त बैंक)</td><td>i) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”

<table><tr><th>व़र्ग</th><th>खाताधारकों की संख्या</th><th>वितरित ऋण राशि (` लाख में)</th></tr><tr><td><b>शिशु</b> - ` 50,000/-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>किशोर - ` 50,001 से ` 5 लाख</td><td></td><td></td></tr><tr><td>तरुण - ` 5 लाख से ` 10 लाख</td><td></td><td></td></tr></table>
ii) “स्टार्ट-अप इण्डिया योजना”

<table><tr><th>व़र्ग</th><th>लाभार्थियों की संख्या</th><th>वितरित ऋण राशि (` लाख में)</th></tr><tr><td>जनजाति</td><td></td><td></td></tr><tr><td>दलित</td><td></td><td></td></tr><tr><td>महिला</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>i) वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कनेक्टिविटी रहित 1397 एस.एस.ए. में से अब भी 1181 में ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जानी है।

(कार्रवाई - बी.एस.एन.एल.)

ii) राज्य सरकार से अनुरोध है कि बी.एस.एन.एल. एवं प्रमुख बैंकों के साथ कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाइयों का समाधान किया जाए।
(कार्रवाई - राज्य सरकार / बी.एस.एन.एल./एस.एल.बी.सी.)</td>
<td>i) 1397 कनेक्टिविटी रहित एसएसए / क्लस्टर में कनेक्टिविटी पहुँचाने की अद्यतन स्थिति :
<table>
<tr><th></th><th>30.09.2015 तक की स्थिति</th><th>31.12.2015 तक की प्रगति</th></tr>
<tr><td>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी की उपलब्धतता</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी की उपलब्धतता</td><td>176</td><td></td></tr>
</table>
ii)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>i) मुख्य सचिव, उत्तराखंड के निर्देशानुसार बैंकों को अपना ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर रेखीय विभाग एवं अग्रणी जिला प्रबंधक के सहयोग से Cluster based bankable schemes in accordance with the specific areas बनाकर, उन योजनाओं का बैंक शाखाओं द्वारा वित्तपोषण कराया जाए।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

ii) राज्य सरकार के संबद्ध विभाग, **विकास योजनाओं** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास तक क्रमश: 33%, 33% एवं 34% के अनुपात में बैंकों को आवेदन पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

iii) सरकार द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों की अद्यतन स्थिति।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / संबंधित विभाग / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

iii) योजनावार प्रगति :

(01.04.2015 से 31.12.2015)

योजना	लक्ष्य	आवेदन				
		प्राप्त	स्वीकृत	निस्तारित	निरस्त	लम्बित
वी.चं.सिं.ग.प.योजना	**500**					
i) वाहन ऋण	250					
ii) गैर-वाहन ऋण	250					
पी.एम.ई.जी.पी.	**1036**					
i) डी.आई.सी.	414					
II) के.वी.आई.सी.	311					
iii) के.वी.आई.बी.	311					
एन.यू.एल.एम.	**1100**					
एस.सी.पी.	**1705**					
i) अनुसूचित जाति	1588					
ii) अनुसूचित जनजाति	100					
iii) अल्पसंख्यक समुदाय	17					
एन.आर.एल.एम.	**925**					
i) कैश क्रेडिट लिमिट (एस.एच.जी.)	650					
ii) टर्म लोन (एस.एच.जी.)	275					

4	**i)** गठित **स्वयं सहायता समूहों** को क्रियाशील बनाए रखने के लिए, उनका शीघ्र बैंक लिंकेज कर, कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत किया जाए। **ii)** एस.एच.जी. की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ एक जिला स्तरीय समिति गठित की जाए। **iii)** राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा ` 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति "स्टॉम्प शुल्क" से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिकतर एस0एच0जी0 गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है। **(कार्रवाई - सचिव, वित्त / सचिव, ग्राम्य विकास,**	**1) स्वयं सहायता समूह** **लिंकेज हेतु परिपक्व एस.एच.जी. की संख्या** | **बैंक लिंक्ड एस.एच.जी. की संख्या** | **स्वीकृत सी.सी.एल. राशि (रु. लाखों में)** | | |

<table>
<tr><td></td><td>उत्तराखंड शासन/ जिलाधिकारी / नाबार्ड / अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>हथकरघा विभाग द्वारा प्रेषित बुनकरों के आवेदन पत्रों का बैंकों द्वारा एक माह के अंदर निस्तारित कर, उन्हें “वीवर क्रेडिट कार्ड” जारी करें।

(कार्रवाई - समस्त बैंक एवं हथकरघा विभाग)</td><td>बैंक द्वारा हथकरघा / वीवर क्रेडिट कार्ड हेतु दिए गए ऋणों की 31 दिसम्बर, 2015 तक की स्थिति

<table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>वीवर क्रेडिट कार्ड की संख्या</th><th>वितरित ऋण राशि (` लाख में)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>राज्य सरकार द्वारा मोडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा के अंतर्गत रबी मौसम हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसके तहत सभी बैंक पात्र कृषकों की फसलों का बीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई - समस्त बैंक)</td><td>मोडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा की स्थिति ;

<table><tr><th>संसूचित फसल का नाम</th><th>लाभार्थी कृषक की संख्या</th><th>बीमित राशि</th><th>कुल प्रीमियम का भुगतान</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

7	सभी बैंक नियंत्रक, दिसम्बर, 2015 की **त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-4**9 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 जनवरी, 2016 तक एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर ऑन-लाइन प्रेषण करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)**	

****